

प्ररूप 18

【देखिए नियम 69थ (1), 69 द(1) (ii), 69प (2) (क) तथा (ख), 69फ (1)】

भाग I— अभिलिखित मतों का लेखा

नगरपालिका/नगरपरिषद्..... के अध्यक्ष का चुनाव अथवा नगरपालिका/
नगरपरिषद्.....की वार्ड/ निर्वाचन क्षेत्र संख्या से सदस्य का चुनाव

मतदान केन्द्र की संख्या तथा नाम.....

मतदान केन्द्र पर प्रयोग की गई मतदान मशीन की पहचान संख्या

नियंत्रण यूनिट.....

मतदान यूनिट.....

1. मतदान केन्द्र के नियत निर्वाचकों की कुल संख्या.....
2. मतदाता रजिस्टर (प्ररूप 12) में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या.....
3. “उपरोक्त में से कोई नहीं” के लिये मतदाताओं की कुल संख्या
4. नियम 69छ या 69ज के अधीन मतदान करने के लिए अनुज्ञात न किए गए मतदाताओं की संख्या ।
5. मतदान मशीन के अनुसार अभिलिखित मतों की कुल संख्या..... ।
6. क्या मद 5 के सामने यथादर्शित मतों की कुल संख्या मद 2–4के सामने यथादर्शित मतदाताओं की कुल संख्या से मेल खाती है या इसमें कोई विसंगति पाई गई है (हाँ या नहीं) ।
7. उन मतदाताओं की संख्या जिनको निविदत मतपत्र नियम 55 के अधीन जारी किए गए थे ।
8. निविदत मतपत्रों की संख्या ।

क्रम संख्या

..... से तक

- (क) उपयोग के लिए प्राप्त.....
- (ख) निर्वाचकों को जारी किए गए.....
- (ग) प्रयुक्त न किए गए और वापस लिए गए.....

9. कागज की सीलों का लेखा

क्रम संख्या

..... से तक मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर

1. दी गई कागज की सीलों
की क्रम संख्या से तक 1.....
2. दी गई सीलों की कुल संख्या 2..... 3.....
3. प्रयुक्त कागज की सीलों की संख्या 4.....
4. रिटर्निंग अधिकारी को वापस की
गई अप्रयुक्त कागज की सीलों की
संख्या (मद 2 से मद 3 निकाल दें) 5..... 6.....
7. 7.....
5. नष्ट हुई कागज की सीलों की क्रम
संख्या, यदि कोई है।

तिथि पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान मतदान केन्द्र संख्या भाग

II—मतगणना का परिणाम

क्रम संख्या	उम्मीदवार का नाम	अभिलिखित मतों की संख्या
1	क	
2	ख	
3	
4	
5	उपरोक्त में से कोई नहीं	
.....		
कुल		

क्या उपरोक्त दर्शाए गए मतों की कुल संख्या भाग I की मद संख्या 5 के सामने दर्शाए गए मतों
की कुल संख्या से मेल खाती हैं या दोनों योगों में कोई विसंगति ध्यान में आई है।

स्थान

तिथि गणना पर्यवेक्षक / पीठासीन अधिकारी के पूरे हस्ताक्षर

उम्मीदवार / निर्वाचन अभिकर्ता / गणना अभिकर्ताओं के नाम

- 1
2
3
4
5
6
7
8
.....

रिटर्निंग अधिकारी / पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर ”।

एस.एन.राय.

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा
सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग।